निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 14/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कजोडमल शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा
2. श्योजीराम शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा

निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर।
2. कृष्ण मोहन शर्मा पुत्र श्री छीतरमल शर्मा
3. छीतरमल शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा
4. नाथूराम शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा

निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, जिला जयपुर।
6. उप-पंजीयक चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 483/2023 ब-उनवानी कजोडमल बनाम कृष्ण मोहन व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री मनोज कुमार भारद्वाज अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हरीश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 25.08.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 483/2023 ब-उनवानी कजोडमल बनाम कृष्ण मोहन व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री हरीश शर्मा उपस्थित हुये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद उदघोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुये व वादीगण को प्रथम दृष्टतया केस मानते हुये वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तत्पश्चात सभी का संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल हो गया, जिस कारण संयुक्त परिवार की सम्पतियों का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया तथा चारो भाईयों के मध्य एक समझोता पत्र निष्पादित कर

जिला कलक्टर
जयपुर

संयुक्त परिवार की सभी कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर बतौर काबिज खातेदार काश्तकार समझोता पत्र की दिनांक से काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान सरकारी जमा करवाते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से में आयी आराजी वादग्रस्त भूमि को समय समय पर दीगर व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर बटाईयों पर देने बाबत इकरारनामा भी निष्पादित किया। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण से समझोता पत्र की पालना करने को कहा तो विपक्षीगण से समझोते की पालना करने से इन्कार हो गये तथा मिट्स एण्ड बाउन्ड्स पर विभाजन कराने से भी इन्कार कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकन कराने से इन्कार कर दिया तब वादीगण ने उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षीगण की तामील के पश्चात विपक्षीगण ने प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार की आपत्ति करते हुये अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जबकि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टान्त पेश किये कि प्रतिवादीगण को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर पेश करने का अधिकार नहीं है एवं प्रतिवादीगण अपने जवाब दावे में ही प्रतिरक्षा ले सकता है एवं तनकीयात के बाद ही क्षेत्राधिकार के बाबत आपत्ति उठाई जा सकती है। दिनांक 01.05.2025 को वादीगण अपने अधिवक्ता के पास न्यायालय परिसर में आये हुये थे। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न्यायालय में जल्दी जल्दी घुस रहे थे एवं प्रतिवादीगण सीधे ही पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में चले गये। पीठासीन अधिकारी के आने के बाद करीब एक घन्टा तक पीठासीन अधिकारी के चेम्बर बैठे रहे यह सब वादीगण देख रहे थे एवं प्रतिवादीगण हंसते हुये पीठासीन अधिकारी के चेम्बर से निकल रहे थे तथा कह रहे थे कि इस तारीख को पीठासीन अधिकारी वादीगण का वाद खारीज कर देगें एवं वादीगण को राजस्व हको से महरूम कर देगें। इस पर वादीगण पीठासीन अधिकारी से मिले तथा समस्त तथ्य बताये तो पीठासीन अधिकारी वादीगण से अत्यधिक नाराज हो गये, तथा कहा कि मेरे चेम्बर में कैसे आ गये तथा कहा कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही निर्णय करूंगा। जिससे की प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थीगण संख्या 02 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सबूत पेश नही किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नही होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर